



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-05-03-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ गोलू को गैंगेस्टर एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल- 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
!

थाना-दशाश्वमेध में पंजीकृत मु0अ0सं0- 801/2024 धारा- (3) 1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ गोलू पुत्र सूरजू यादव निवासी भीखमपुर थाना कपसेठी जनपद वाराणसी को थाना-दशाश्वमेध पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 05-03-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- (3) 1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी